योगी ने शिक्षकों को दी बड़ी सौगात

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़कर हुई 25 लाख

लखनऊ 17 मार्च. उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

शासन ने ग्रेच्युटी/उपादान की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन स्तर पर विशेष सचिव उमेश चन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जब महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाता है, तो ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रावधान लागू होता है। शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय पूर्व में जारी आदेश 7 मई 2017 तथा वित्त विभाग के शासनादेश 23 दिसंबर 2016 और 02 जुलाई 2024 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है.

गौरतलब है कि पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है.

शिक्षक, वकील और पत्रकारों को मिलेंगे मकान

लखनऊ . योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि माफियाओं से मुक्त कराई गई सरकारी जमीनों का अब जनहित में उपयोग किया जाएगा। खासतौर पर इन जमीनों पर आवासीय परियोजनाएं विकसित कर शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों को फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे.

मुख्यमंत्री युवा योजना से बदली तकदीर

लखनऊ . उत्तर प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' योजना युवाओं के लिए स्वरोजगार का मजबूत आधार बनती जा रही है। इस योजना के तहत मिलने वाले ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण से युवा न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ की रहने वाली खुशी गुप्ता महिला उद्यमिता की नई पहचान बनकर उभरी हैं.

ग्रेटर नोएडा में खुलेगा ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस

ग्रेटर नोएडा. ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस शुरू होने जा रहा है. यह कैंपस उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर परिक्षेत्र ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण परिसर स्थित टावर-दो की तीन मंजिलों (छठी, सातवीं और आठवीं) पर स्थापित किया जाएगा. यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने जल्द ही कैंपस के निर्माण और संचालन की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं. यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-16बी स्थित मैक्स टावर में आयोजित कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को परफॉर्मेंस गारंटी से जुड़े दस्तावेज सौंपे.

किसानों की आय और सुरक्षा की गारंटी : शिवराज

तंबाकू की जगह नकदी वाली फसलें प्रोत्साहित कर रही है केंद्र सरकार

नई दिल्ली, 17 मार्च. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तंबाकू जैसी हानिकारक फसल के स्थान पर लाभदायी वैकल्पिक फसलें उपलब्ध कराने से लेकर एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीदी, फसल बीमा योजना में क्रांतिकारी सुधार और सख्त निगरानी व्यवस्था के जरिए किसानों की आय और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोक सभा में सांसदों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए बताया कि मोदी सरकार ने केवल किसानों से तंबाकू की उपज छोड़ने की अपील नहीं की, बल्कि जिन क्षेत्रों में ये उगाई जाती है, वहां हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, आलू, चिया, फीड बीन, लोबिया, रागी, रेड ग्राम, गन्ना, सोयाबीन, ज्वार और मूंगफली जैसी लाभकारी फसलों को मजबूत विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया है ताकि किसानों की नकदी आमदनी सुरक्षित रहे.

बापू हमारे विचारों में हैं- शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में आज कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा राजनीतिक प्रहार करते हुए महात्मा गांधी जी की विरासत, मनरेगा, विकसित भारत-जी राम जी कानून, पीएम आवास, आयुष्मान, मुफ्त राशन, लखपति दीदी और ग्रामीण रोजगार योजनाओं के सहारे पूरा नैरेटिव उलट दिया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि बापू हमारे विचारों, भावनाओं और अंतरात्मा में हैं, भाजपा की

5 बीमा कंपनियों पर 8 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली. सरकार ने गलत तरीके से पॉलिसी बेचने और नियमों के उल्लंघन के मामले में 5 बड़ी कंपनियों पर करीब 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही, इंश्योरेंस मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार अब 25,000 ग्राम पंचायतों को बीमा कवरेज के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है कि बीमा कंपनियों की किसी भी गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. इंश्योरेंस रेगुलेटर ऐसी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. अब सरकार बीमा (इंश्योरेंस) को देश के दूर-दराज के गांवों तक पहुंचाने के लिए एक नया तरीका अपना रही

डाक विभाग की 48 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा शुरू

- मुंबई समेत देश के 6 शहरों में होगी तय समय में डिलीवरी
- केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद

नई दिल्ली, 17 मार्च. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के 6 प्रमुख शहरों में 24 और 48 घंटे में गारंटीकृत वितरण देने वाली डाक विभाग की नई सेवाओं '24 स्पीड पोस्ट', '24 स्पीड पोस्ट पार्सल' और '48 स्पीड पोस्ट' का शुभारंभ किया. इन सेवाओं के तहत अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में रिकॉर्ड समय में पार्सल पहुंचाया जाएगा. देरी होने की स्थिति में उपभोक्ता को पूरा शुल्क वापस किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि देश के 6.5 लाख गांवों, हर तहसील और तालुका में यदि परिवार के सदस्य से भी अधिक किसी संस्था पर भरोसा किया जाता है तो वह ग्रामीण डाक सेवा है. यही भरोसा डाक विभाग की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया में डाक विभाग जैसा इतना बड़ा और गहराई तक फैला नेटवर्क किसी अन्य देश के पास नहीं है. यह नेटवर्क देश के अंतिम छोर तक अपनी पहुंच बनाए हुए है. सिंधिया ने कहा कि यह सेवा डाक विभाग के लिए एक नए युग की शुरुआत है. आज देश के अंतिम व्यक्ति तक स्मार्टफोन पहुंच चुका है और ई-वाणिज्य तेजी से बढ़ रहा है. वर्तमान में यह बाजार लगभग 11 लाख करोड़ रुपये का है जो 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है.

आज का इतिहास

1801- भारत में पहला आयुध निर्माण कारखाना कोसीपुर, कोलकाता में स्थापित.

1837-अमेरिका के 22वें और 24वें राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड का जन्म

1858- डीजल इंजन के खोजकर्ता रूडोल्फ डीजल का जन्म.

1871-भारतीय-अंग्रेजी गणितज्ञ और अकादमिक ऑगस्टस डी मॉर्गन का निधन.

1910- गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश विधान परिषद के सामने मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा.

1914-आजाद हिन्द फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लों का जन्म.

एयर इंडिया19 से 28 मार्च तक 36 उड़ानों का करेगी परिचालन

- एयर इंडिया कनाडा के लिए 36 अतिरिक्त उड़ानों का करेगी परिचालन

नई दिल्ली, 17 मार्च. टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने बढ़ी मांग को देखते हुए यूरोप और कनाडा के लिए 19 से 28 मार्च के बीच 36 अतिरिक्त उड़ानों (दोनों तरफ मिलाकर) के परिचालन की घोषणा की है.

एयरलाइंस ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ये उड़ानें दिल्ली से लंदन (हीथ्रो), फ्रैंकफर्ट, ज्यूरिख और टोरंटो के लिए तथा मुंबई से लंदन (हीथ्रो) के लिए होंगी.

बरेली में सास और साले का हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर

बरेली. उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में सास और साले की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने मंगलवार भोर एक सशस्त्र मुठभेड़ में मार गिराया. रहपुरा चौधरी गांव में सोमवार दोपहर आरोपी अफसर खान ने अपनी पत्नी साइमा, सास आसमा और साले आदिल पर चाकू से हमला किया.

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)" को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय होगा। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता संख्या) LNHLNEE000057468 (पुराना) 503000000830311 (नया) (नीमच शाखा) श्री कैलाश अग्रवाल (उधारकर्ता) श्रीमती सुनीता बाई अग्रवाल (सह-उधारकर्ता)	09.03.2026 रु. 3,88,452/- (04.03.2026 तक)	म.प्र. 458226, जिला नीमच, सिंगोली तहसील, ग्राम आलोरी गरवाड़ा, वार्ड संख्या 2, मकान संख्या 36 में स्थित, 310.5 वर्ग फुट (अर्थात 28.84 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली, भूमि और भवन सहित आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः सड़क, दक्षिणः सुरेश राठौर का मकान, पूर्वः लक्ष्मण राठौर का मकान, पश्चिमः शिवलाल प्रजापत का मकान

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनेता नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 18.03.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी), केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए

10 सीट भी नहीं जीत पाएगी भाजपा : केजरीवाल

हमें बदनाम करके जेल में डाल दिया गया

हमें भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की गई और हम पर कई बार छापेमारी की गई। इन्हें कहीं कुछ नहीं मिला. हमें बदनाम करके जेल में डाल दिया गया था।(दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री) मनीष सिसोदिया और (पूर्व मंत्री) सत्येंद्र जैन से कहा गया कि केजरीवाल को छोड़कर भाजपा में आ जाओ, लेकिन हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाया. हमारे एक भी व्यक्ति नहीं टुटे.

- आप को पिछले 4-5 वर्षों में बदनाम करने की कोशिश
- सच्चाई के मार्ग पर चलना आसान नहीं है

गोवा, 17 मार्च. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में मंगलवार को एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर अभी चुनाव करा दिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी 60 से अधिक सीटें हासिल कर लेगी.

अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने अग्निपरीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर ली है। उन्होंने कहा कि आप का नेतृत्व अग्निपरीक्षा से निकलकर आया है। इतिहास गवाह है कि जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो अग्निपरीक्षा देनी पड़ती है। सच्चाई के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। आप को पिछले 4-5 वर्षों में बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने आगे कहा, हमारे ऊपर आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 100 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया.

बस-ट्रक की भिड़ंत में पांच लोगों की मौत

हनुमानगढ़. राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर मंगलवार सुबह बस और ट्रक की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गयी और पांच से अधिक यात्री घायल हुए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि निजी बस श्रीगंगानगर से जयपुर के लिये सुबह पांच बजे रवाना हुई थी. यह बस हनुमानगढ़ में बरमसर के पास एक वाहन से आगे निकलने के प्रयास में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गयी. इससे बस में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि पांच से अधिक लोग घायल हो गये.

Chola Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600 032

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आपको, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / सह-उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने आपके खिलाफ प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत कार्यवाही शुरू की है और आपको पंजीकृत डाक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस भेजा गया है। उधारकर्ता / उधारकताओं के लिए देय राशि बिना वितरित किए वापस आ गई है। इसलिए, आपको इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस लेने और उक्त खाते के खिलाफ उल्लिखित बकाया ऋण राशि का भुगतान ब्याज के साथ करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल रहने पर कंपनी ब्याज और लागतों के साथ अपने बकाये की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षा को लागू करके अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके आपके खिलाफ आगे बढ़ेगी। यह उल्लेख करना अनावश्यक है

स. क्र.	ऋण खाता संख्या और नाम और उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का पता	ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि
1.	ऋण संख्या TL01RTM0000063582, 1. श्री साई इंटरप्राइजेज, (उधारकर्ता) दुकान क्रमांक 24 कृषि उपज मंडी, सैलाना बस स्टैंड, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का पताः सैलाना बस स्टैंड, रतलाम, बस स्टैंड के पास, रतलाम, मध्य प्रदेश - 457001। 2. नीलेश राणावत, (सह-उधारकर्ता), मकान नंबर 156, वार्ड नंबर 8, नगरा ताम, रतलाम, बाजनखेड़ा, रतलाम, मध्य प्रदेश - 457001। 3. अंगुरबाला राणावत, (सह-उधारकर्ता), ग्राम बाजनखेड़ा, पोस्ट नगरा तहसील, रतलाम, मध्य प्रदेश - 457001	रु. 66,73,619/-	24.02.2026 और रू. 69,08,765/- 11.02.2026 तक साथ में अतिरिक्त ब्याज और शुल्क। एनपीए दिनांक : 06.01.2026
	अचल संपत्ति की अनुसूचीः मद संख्या 1: ग्राम बाजनखेड़ा, तहसील, जिला रतलाम के भू-सर्वेक्षण संख्या 238/2 के अंतर्गत स्थित भूखंड/मकान संख्या 127, भूमि का क्षेत्रफल 85 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः रतलाम-खाचरोद मार्ग, पश्चिमः पुरानी सरकारी सड़क, उत्तरः श्रीमती अंगुरबाला के भूखंड/मकान संख्या 125 और 126, दक्षिणः रमेश के भूखंड/मकान संख्या 128। मद संख्या 2: ग्राम बाजनखेड़ा, तहसील, जिला रतलाम के भू-सर्वेक्षण संख्या 238/2 के अंतर्गत स्थित भूखंड संख्या 125 और 126, भूमि का क्षेत्रफल 123 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः सरकारी भूमि, उत्तरः नागेश्वर की भूमि, दक्षिणः कैलाश की भूमि।		
2.	ऋण संख्या TL01IND0000065735 1. मैसर्स. अवनी पॉलिमर्स, (उधारकर्ता), प्लॉट नंबर 37, सांवेर औद्योगिक क्षेत्र श्रीनाथ पैकेजिंग के पास सेक्टर डी औद्योगिक क्षेत्र इंदौर ना इंदौर, मध्य प्रदेश - 452015 2. श्री चेतन कोठारी, (सह उधारकर्ता) 3. श्रीमती निशिता ओरा, (सह-उधारकर्ता), क्र. 2 और 3 में निवासः 302 ब्लॉक प्रीमियम लीड्स एन्क्लेव छोटा बांगड़दा इंदौर, म.प्र.- 452 005	रु. 1,75,00,000/-	24.02.2026 और रू. 1,80,91,989/- 19.02.2026 तक साथ में अतिरिक्त ब्याज और शुल्क। एनपीए दिनांक : 06.02.2026
	अचल संपत्ति की अनुसूचीः फ्लैट संख्या 302, ब्लॉक पी, तीसरी मंजिल, लीड्स एन्क्लेव, ग्राम छोटा बंगार्डा, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश स्थित संपत्ति का पूरा हिस्सा। निर्मित क्षेत्रफल 1617 वर्ग फुट (150.27 वर्ग मीटर)। सीमाएँ: पूर्व - सड़क, पश्चिम - फ्लैट संख्या 301, उत्तर - सड़क, दक्षिण - लॉबी।		

दिनांकः 18.03.2026
स्थानः चैन्नई

प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड के लिए

युवाओं को नशे से बचाने के लिए समर्पित है केंद्र

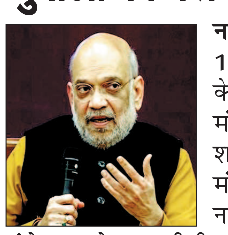

अमित शाह ने एनसीबी को स्थापना दिवस पर बधाई दी

नई दिल्ली, 17 मार्च. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के स्थापना दिवस के अवसर पर एजेंसी के कर्मियों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने पोस्ट करते हुए लिखा, एनसीबी के जवानों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं. नशीले पदार्थों से हमारे युवाओं की रक्षा के लिए समर्पित एक प्रमुख एजेंसी के तौर पर एनसीबी पूरी कुशलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और मोदी जी के 'नशामुक्त भारत' के विजन को अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा रही है. पूरा राष्ट्र उनके समर्पण और देशभक्ति को नमन करता है। वहीं, एनसीबी ने एक्स पोस्ट में कहा, एनसीबी 41 - नशीले पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने, समुदायों की रक्षा करने और नशामुक्त भारत के स्वप्न को सुदृढ़ करने के प्रति चार दशकों की अटूट प्रतिबद्धता.

राज्यसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे नितिन नवीन का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा चुनाव जीतकर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने भी उनका वेलकम किया.

कार्यालय कलेक्टर, (खनिज) जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक 372/ खनिज / 2025-26 — देवास, दिनांक. 05/03/2026

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए

प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि आवेदक मेसर्स / श्री/श्रीमती हिमांशी पिता श्री हेमेन्द्र सिंह 14 गोपेश्वर मार्ग भौरासा तह. सोनकच्छ जिला देवास (M.P.) द्वारा उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 23/01/2026 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक (विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस) तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई - खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेगें।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार निजी /अन्य भूमिस्वामी की सहमति प्राप्त	खनिज का नाम	रिमार्क
देवास	सोनकच्छ	भौरासा	4/4	4.000	शासकीय भूमि	गिट्टी, मुरुम एवं एमसेंड	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			कुल रकबा	4.000		-	-

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय साय 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जावेगी । विज्ञप्ति प्रकशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञाति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

G27512/25

खनि अधिकारी, वास्ते कलेक्टर, जिला देवास (म.प्र.)

बिक्री / ई-नीलामी नोटिस

आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन में

CIN: U45201MP1999PTC013634

पंजीकृत पताः TF-03, ब्लॉक नंबर-03, प्लॉट नंबर-7 महेंद्र बिजनेस स्क्वायर, बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462039 कंपनी परिसमापन के तहत माननीय NCLT आदेश दिनांक 22.05.2024 के तहत IA-12/2024 Liq और C.P. (IB)/353/PB/2022.

कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों की बिक्री को 'संपत्तियों के सेट के रूप में सामूहिक रूप से' बेचा जा रहा है, जैसा कि विनियमन 32 के उपखंड (c), विनियमन 33 की उप-विनियमन (1) और भारतीय दिवाला और दिवालापन बोर्ड (लिक्विडेशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची । में निर्दिष्ट है, जिसके तहत लिक्विडेटर श्री कुलदीप टांक को माननीय NCLT Principal Bench द्वारा दिनांक 04.12.2024 के इसके आदेश सं. IA-5688/2024, C.P. (IB)-353(PB)/2022 के तहत नियुक्त किया गया। यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से की गई।

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
		ब्लॉक-A से D: संयुक्त रूप से आस्तियों के किसी समूह का (विनियमन 32(c) के तहत)
1.	बिक्री नोटिस और ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के प्रकाशन की तिथि	18/03/2026
2.	इच्छुक बोलीदाता द्वारा 29ए पात्रता दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन बोली आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	18/03/2026 सुबह 11:00 बजे से 02/04/2026 दोपहर 01:00 बजे तक
3.	नीलामी के अंतर्गत परिसंपत्तियों के निरीक्षण या यथोचित परिश्रम की तिथि और समय (पूर्व नियुक्ति के साथ)	18/03/2026 सुबह 11:00 बजे से 01/04/2026 शाम 05:00 बजे तक
4.	इच्छुक बोलीदाता द्वारा बयाना राशि जमा करने की तिथि और समय	19/03/2026 सुबह 11:00 बजे से 02/04/2026 दोपहर 01:00 बजे तक
5.	नीलामी की तिथि और समय	शनिवार, 04/04/2026 दोपहर 03:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)
6.	उच्चतम बोलीदाता की घोषणा	06/04/2026
7.	सफल बोलीदाता की घोषणा	संभावित रूप से 09/04/2026
8.	परिसमापक का पता और ईमेल	202, ब्लॉक-ए, द वन, आरएनटी मार्ग, इंदौर-452001 ibduniversal21@gmail.com

ब्लॉक-A से D:

आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियमन 2016 के विनियमन 32(c) के तहत सामूहिक रूप से परिसंपत्तियों का सेट (विनियमन 32(c) के तहत) जिसमें भूमि, भवन, प्रतिभूतियाँ और वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जहां है जैसा है, जो भी है आधार पर और बिना किसी सहारे के आधार पर आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, परिसमापन में ("कॉर्पोरेट देनदार") परिसंपत्तियों की बिक्री

ब्लॉक	आस्तियों का विवरण	नीलामी का तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु.	ईएमडी रु.	बोली वृद्धि राशि रु.
A	आईबीडी रॉयल सिटी, ग्राम - रायपुर, तहसील और जिला- होशंगाबाद (नर्मदापुरम)- 461001 पर प्लॉटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)	शनिवार 04/04/2026 दोपहर 03:00 तक से सायं 06:00 तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)	2,54,71,637	25,47,163	5,00,000
B	आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में ब्लॉक C के अलावा कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		6,57,79,349	65,77,934	10,00,000
C	आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में 25 (1862.79 वर्ग मीटर) आंशिक रूप से पूर्ण/लगभग पूर्ण फ्लैटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		2,53,69,329	25,36,932	5,00,000
D	कॉर्पोरेट देनदार की सभी सुरक्षा और वित्तीय संपत्तियाँ। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		1,29,35,111	12,93,511	5,00,000

आरक्षित मूल्य में कर, जीएसटी, टीडीएस, शुल्क, प्रभार, शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रीमियम आदि शामिल नहीं हैं वारंटी और क्षतिपूर्ति के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।

ई-नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. इच्छुक बोलीदाताओं को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। सहायता के लिए संपर्क करें: support.baanknet@psballiance.com / मोबाइल नंबर 91 8291220220
2. परिसमापक का संपर्क विवरणः श्री कुलदीप टॉक ईमेलः ibduniversal21@gmail.com संपर्क नंबर 9826677735
3. संपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और वचनबद्धता फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें युक्त संपूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://ibbi.baanknet.com/ पर उपलब्ध हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, अन्य, यदि कोई हो, स्थानीय प्रशासन के बकाए आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। और उपरोक्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर यदि कोई हस्तांतरण शुल्क होगा तो उसे वहन करेंगे और अपने खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण करेंगे और खुद को संतुष्ट करेंगे। ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों का विवरण संभावित बोलीदाताओं द्वारा साइट पर परिसमापक और उसकी टीम से संपर्क करके निरीक्षण किया जा सकता है।
5. ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, और ब्लॉक D, की नीलामी सामूहिक रूप से एक ब्लॉक में सभी संपत्तियों के लिए होगी।
6. बिक्री नोटिस को ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के साथ पढ़ा जाना चाहिए और साथ ही उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों से सहमत होना चाहिए जो https://ibbi.baanknet.com पर उपलब्ध है।
7. संभावित बोलीदाता केवल बैंकनेट नीलामी मंच के माध्यम से बयाना राशि जमा (EMD) जमा करेगा।
8. संभावित बोलीदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से दिवालियापन और दिवालियापन संहिता की धारा 29 ए के तहत पात्रता की घोषणा सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
9. यदि उच्चतम बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है, जिसमें उपरोक्त क्रमांक 8 के तहत उल्लिखित बोलीदाता भी शामिल है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
10. यदि परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से उच्चतम बोलीदाता को अयोग्य पाते हुए अस्वीकार कर देता है, तो परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से विनियमों के खंड (12ए) से खंड (12ई) के अंतर्गत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद अगले उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है।
11. सफल बोलीदाता को लागू स्टाम्प शुल्क/लीज हस्तांतरण शुल्क, फीस आदि और सभी स्थानीय कर, शुल्क, दरें, मूल्यांकन शुल्क, फीस, रखरखाव शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। नीलामी में रखी गई संपत्ति के संबंध में।
12. ई-नीलामी "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर तथा "बिना किसी सहायता के" https://ibbi.baanknet.com. पर अनुमोदित सेवा प्रदाता के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
13. बिक्री ई-नीलामी के दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन सेवाप्रदाता की वेबसाईट पर किया जायेगा।

कुलदीप टाँक
मैसर्स आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में परिसमापक
(परिसमापन प्रक्रिया के तहत)
पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P-02776/2022-2023/14255
ई-मेल आईडीः ibduniversal21@gmail.com
AFA 30.06.2026 तक वैध
पताः 202, ब्लॉक-ए, द वन, आरएनटी मार्ग, इंदौर-452001
दिनांकः 18.03.2026, स्थानः इंदौर